30/7/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तर पक्ष उपस्थित। शेष
सभी अप्रार्थीगण को सम्मन समयक तामील होने के
पर भी अनुपस्थित है। उपस्थित उत्तर पक्ष के अधिवक्ताओं
की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष का कहना है कि पेशी
के रोज वकील की उपस्थिति नहीं हो पाई और न ही
वकील की तरफ से प्रार्थी की उपस्थिति बाबत कोई हिदायत
दी थी। इसलिए मामला अदम पैरवी व अदम पेशी में
खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता की चूक का खामियाजा
प्रार्थी / फरीक को नहीं चुकाना पड़े इसलिए न्यायहित में
आवेदन स्वीकार किया जावे।

वकील अप्रार्थी का कथन है कि
अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। इनकी
तरफ से उपेक्षा के चलते मामला लंबा होता रहा है।

उभय पक्ष की दलीलों पर मनन करने
के बाद मामला पुनः बहाल कर शीघ्र पर निपटाना
न्यायसंगत है कि अपीलांट पक्ष अब आगे कोई चूक न करे।
प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पुनः बहाल
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नियमित रजिस्टर
के कालम में ली जाकर आगामी तारीख पेशी से उभय पक्ष
सूचित हुआ। पत्रावली [illegible] शुमार होकर [illegible]
दाखिल दफ्तर हो।

A-R-[illegible] Ack
30/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner